



परिशिष्ट IV/ APPENDIX IV
[देखें, नियम 8 (1)] / {Refer Rule 8 (1)}
कब्जा सूचना/ POSSESSION NOTICE
(अचल संपत्ति के लिए) / (For Immovable Property)

जबकि

अधोहस्ताक्षरी, प्राधिकृत अधिकारी,.....(संस्था का नाम) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन [अधिनियम, 2002 (2002 का 54)] के अधीन और धारा 13(12) तथा सपठित प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ऋणी श्रीमें को सूचना में उल्लिखित रकम रु. (शब्दों में रुपये) को कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्सदत्त करने के लिए बुलाते हुए एक माँग देय सूचना दिनांकजारी किया।

Whereas

The undersigned being the authorized officer of the UCO Bank (name of the Institution) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest {Act, 2002 (54 of 2002)} and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with {Rule 3} of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002 issued demand notice dated 02-04-2024 calling upon the borrower M/s New Noor Electronics Prop. Md. Imran to repay the amount mentioned in the notice being Rs.6,00,621.05 (Rupees Six Lac Six Hundred Twenty One and Paise Five Only) as on 14.02.2025 within 60 days from the date of receipt of the said notice.

उधारकर्ता द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने पर, प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, की नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उधारकर्ता और आम लोगों को यह नोटिस दिया जाएगा कि अधोहस्ताक्षरी नीचे उल्लेख की गई संपत्ति पर वर्ष की तारीखसे कब्जा कर लिया है।

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of power conferred on him under sub-section (4) of section 13 of act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002 on this the January 2nd, 2026.

ऋणी को विशेष रूप से और लोक को सामान्य रूप से एतद्वारा संपत्ति से संव्यवहार न करने के लिए सावधान किया गया और संपत्ति का कोई संव्यवहार(संस्था का नाम) के प्रभार के अधीन रु.और उस पर ब्याज पर होगा।

The borrower in particular & the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of the UCO Bank for an amount of Rs.6,07,284.78 only (Rupees Six Lac seven thousand two hundred eighty four and seventy eight paise only) as on 02.01.2026 and unapplied interest thereon + Legal charges.

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.



अचल संपत्ति का वर्णन

संपत्ति वासखंड सं. / भूखंड सं. सर्वेक्षण सं.
..... / शहर या कस्बा सर्वेक्षण सं. / खसरा सं. उप-
जिला और जिला में पंजीकृत के आवश्यक सभी भाग ।

सीमाबद्ध :

उत्तर की ओर :

दक्षिण की ओर :

पूर्व की ओर :

पश्चिम की ओर :

Description of the Immovable Property

All that part and parcel of residential land measuring area 1.1 Decimal i.e 500sqft located at Dhobi Muhalla, Gumla, Mouza: Gumla, Ward no.: 13, Thana No.:59, P.S: Gumla, Khata no.:173, Plot no.:429, District: Gumla, Jharkhand, in the name of Noor Mistri S/o Late Badlu Mistri, vide sale deed no.3068 dt.20.12.2007

Bounded by:

North: Md. Hamid

East- Land of Jahangir and others

South: Nagarpalika Main Road

West: Md. Sabir and Others

दिनांक/ Date: 02.01.2026

स्थान/Place: Gumla

प्राधिकृत अधिकारी /
Authorized Officer
यूको बैंक / UCO BANK
प्राधिकृत अधिकारी
अचल कार्यालय, राँची
Authorised Officer
Zonal Office, Ranchi
(यूको बैंक) UCO BANK